

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 966] No. 966] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

का. आ. 1478(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) नियम, 2011 के नियम 12 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- ''(2क) प्रत्येक प्रकीर्ण आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस संलग्न होगी।''

[फा. सं 17 (19)/2015-पीएल/एनजीटी]

अरुण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 296 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2016

- **S.O.** 1478(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of Section 35, read with sub-section (1) of section 18 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes, the following rules further to amend the National Green Tribunal (Practices and Procedure) Rules, 2011, namely:-
 - 1. (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Practices and Procedure) (Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) In the National Green Tribunal (Practices and Procedure) Rules, 2011, in rule 12, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(2A) Every miscellaneous application shall be accompanied by a fee of five hundred rupees."

[F. No. 17(19)/2015-PL/NGT]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G. S. R. 296 (E), dated the 4th April, 2011.